न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा, जिला दौसा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– उमेश वीर, आर.जे.एस. UID NO.RJ00787

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 612/2020(289/16)

सी.आई.एस. नम्बर 612/2020

CNR NoRJDS020006162016

राजस्थान राज्य ––अभियोगी

बनाम

लालाराम पुत्र मूलचन्द उम्र–35 वर्ष निवासी बडौली थाना सदर, जिला–दौसा (राज.) –– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता एवं

धारा 4/21 MMDR

उपस्थितिः–

01–राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी।

02–श्री मुरलीमनोहर शर्मा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांकः 16.03.2026

1. अभियोजन कहानी अनुसार हस्तगत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि फरियादिया सुश्री सोनू अवस्थी सर्वेयर कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, दौसा ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 आरक्षी केन्द्र कोतवाली, दौसा में इस आशय की पेश की कि दिनांक 21.03.2016 को वाहन संख्या आर.जे. 45 आर.ए. 0177 को चैक किया गया जिसमें खनिज चेजा पत्थर लगभग 9 टन भरा हुआ पाया गया। मौके पर वाहन चालक लालाराम पुत्र श्री मूलचन्द निवासी बडौली, तहसील व जिला दौसा द्वारा मौके पर खनिज की रॉयल्टी सम्बन्धी वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 68 के तहत अवैध निर्गमन की श्रेणी में माना जाकर मौके पर ही मौका पंचनामा बनाया गया। खनिज एक राष्ट्रीय सम्पदा है जिसका चोरी कर परिवहन करना आई.पी.सी. की धारा 379 के तहत दण्डनीय अपराध है। लालाराम पुत्र श्री मूलचन्द निवासी बडौली, तहसील व जिला दौसा द्वारा खनिज चेजा पत्थर का अवैध निर्गमन किया जाने का अपराध किया गया है। अतः उक्त अवैध निर्गमनकर्ता के विरूद्ध एम.एम.सी.आर. 1986 के नियम 68,

एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 4 व 21 आई. पी.सी. की धारा 379 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का श्रम करावें .....इत्यादि।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र कोतवाली, दौसा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 184/2016 दर्ज कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। बाद अन्वेषण अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 एवं धारा 4/21 MMDR के अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाकर उसके विरूद्ध उक्त अपराधों के संबंध में नतीजा आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

3. अभियुक्त को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/21 MMDR का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया तो आरोप को सुन–समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर विचारण प्रारंभ किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी0 ड 0–1 अरविन्द, पी0 ड 0–2 लल्लूराम, पी0 ड 0–3 बसवीर, पी0 ड 0–4 राजेन्द्र, पी0 ड 0–5 सोनू अवस्थी, पी0 ड 0–6 विक्रम, पी0 ड 0–7 बनवारी लाल, पी0 ड 0–8 दिलीप सिंह को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा मौका प्रदर्श पी–1, तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–2, मौका पंचनामा प्रदर्श पी–3, बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह लल्लूराम प्रदर्श पी–4, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5, तिवाडी धर्मकांटा की पर्ची प्रदर्श पी–6, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–7, 8 चाक एफ.आई. आर. प्रदर्श पी–9 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. तत्पश्चात अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया।

6. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध मामला सन्देह से परे प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है उसे हस्तगत प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण के किसी भी गवाह ने अभियुक्त को चेजा पत्थर का अवैध खनन एवं निर्गमन करते देखा हो, यह साक्ष्य नहीं दी है। प्रकरण के किसी भी गवाह ने यह स्पष्ट कथन नहीं किया है कि उनके सामने अभियुक्त द्वारा चेजा पत्थर परिवहन कर ले जाया जा रहा हो। प्रकरण में जब्ती प्रमाणित नहीं है। गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

9. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) क्या प्रकरण के अभियुक्त ने दिनाँक 21.03.2016 को समय 6.30 पी०एम० या उसके लगभग वाके मौजा नेशनल हाई वे नम्बर 11 पर मिडवे के सामने दौसा पर ट्रेक्टर मय ट्रॉली आर0जे0–45 आर.ए. 0177 में अवैध रूप से 09 टन खनिज चेजा पत्थर भरकर परिवहन किये जा रहे थे जिसको परिवहन करने का तत्समय आपके पास कोई रायल्टी व अनुज्ञा–पत्र नहीं था। उक्त चेजा पत्थर को आपके द्वारा बिना परिवादी की अनुमति के बेईमानीपूर्वक आशय से चोरी के आशय से ले जाया जा रहा था।

(2) यदि हाँ तो दण्ड की मात्रा क्या होगी?

10. गवाह पी0ड0–1 अरविन्द ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मै दिनांक 22.03.2016 को पुलिस थाना कोतवाली दौसा में कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नं० 184/16 धारा 379 आईपीसी व 4/21 एमएमडीआर एक्ट के आईओ दिलीप सिंह एसआई ने मेरे व कानि विकम 376 की उपस्थिति में घटना स्थल का नक्शा मौका मौके पर कसीद किया था जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में दिनांक 23.03.2016 को आईओ दिलीप सिंह एसआई ने प्रकरण में वांछित मुलजिम लालाराम की निशादेही से धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर घटना स्थल का तस्दीक नक्शा मौका मेरे व कानि विकम 376 की उपस्थिति में बनाया था जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर भी ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि मुझे पता नहीं वहां कितने ट्रेक्टर खडे थे उनके नम्बर क्या थे। सामने बहुत

सारी दुकानें थी व कटले का रास्ता था। काफी भीड भाड वाला इलाका है। यह सही है कि वहां दुकान वालों में से दिलीप ने किसी को भी नहीं बुलाया था, ना ही साइन कराए थे। दिलीप ने प्रदर्श पी–2 पर गाँव वालों के साइन कराने को नहीं कहा था। खान पर मैंने कोई ट्रेक्टर नहीं देखा।

11. गवाह पी0 ड 0–2 लल्लूराम ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 21.03.2016 को खान निरीक्षक कार्यालय में सहायक अभियंता खान एवं भू–विज्ञान में निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन शाम को 6 बजे हमारे विभाग के सर्वेयर सोनू शर्मा को जरिये मोबाइल थाना कोतवाली दौसा से सूचना मिली कि दौराने नाकाबंदी एक ट्रेक्टर नं० आरजे 45 आरए 0177 मय डॉली जिसमें क्षमता से अधिक पत्थर भरे हुए थे जिन्हें चैक किया तो उनके पास कोई वैध रवन्ना व रॉयल्टी नही थी। उक्त सूचना पर सोनू शर्मा सर्वेयर के साथ मै थाना कोतवाली दौसा पहुंचे। वहां टैक्टर आरजे 45 आरए 0177 मय टॉली को चैक किया तो उसमें खनिज चेजा पत्थर लगभग 9 टन भरा हुआ था। वाहन ट्रैक्टर का चालक लालाराम भी वहां मौजूद था। जिससे रवन्ना व रॉयल्टी के बारे में पूछा तो उसने रवन्ना व रॉयल्टी का नही होना बताया। इसके बाद सोनू अवस्थी द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद हम आ गए। मौका पंचनामा प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है जो सर्वेयर सोनू अवस्थी ने बनाया था। इस गवाह को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस गवाह से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी–4 का ए से बी भाग व सी से डी भाग सही है। यह कहना सही है कि कांटे पर लाकर उक्त ट्रेक्टर मय ट्रोली में भरे पत्थर का वजन करवाया था और वो वजन क्षमता से ज्यादा लगभग 9 टन का था। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा इस गवाह से जिरह करने पर गवाह ने कथन किया है कि आज मैंने ट्रेक्टर–ट्रोली नहीं देखी ना ही पत्थर देखे। ट्रेक्टर ट्रोली मेरे सामने रोकी नहीं गयी थी। ट्रेक्टर ट्रोली का कुल वजन क्या था मुझे पता नहीं है। ट्रेक्टर–ट्रोली के पत्थरों को मैं आज बता भी नहीं सकता। यह सही है कि उसमें नए पुराने दोनों पत्थर थे। यह सही है कि जहाँ से पत्थर लाना बताया है वो लीज होल्डर की खान थी। पुराने पत्थर चालक किसी खण्डर मकान से लाया हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैं नहीं बता सकता की नए पत्थर 6 टन के भीतर हो और पुराने पत्थर खण्डर

मकान के हो।

12. गवाह पी0 ड 0–3 बसवीर ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 21.03.2016 को पुलिस थाना कोतवाली दौसा में कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस अधीक्षक, दौसा के निर्देशानुसार समय 03:10 पीएम पर थानाधिकारी देवेन्द्र प्रताप, कानि बलराम, गजेन्द्र, किशन, विकम, बनबारी और में नाकाबंदी हेतु एनएच 11 मिडवे दौसा के सामने नाकाबंदी पर गए थे। समय 6:00 पीएम पर एक ट्रेक्टर नं० आरजे 14 आरबी 366 मय टॉली पत्थरों से भरी हुई थी, जिसका चालक चलाते हुए लाया जिस पर एसएचओ देवेन्द्र प्रताप ने उक्त को रोका व चैक किया तो उसमें क्षमता से अधिक पत्थर भरे हुए थे जिस बाबत् चालक से रेवेन्यू रवन्ना चालक से पूछा तो नहीं होना बताया जिस पर थानाधिकारी ने जरिये मोबाइल खनि अभियंता सोनू शर्मा को सूचित किया जिस पर उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने पर ले आओ मैं थाने पर आ जाउंगा। उसी समय 6:10 पीएम पर एक अन्य ट्रैक्टर नं० आरजे 45 आरए 0177 मय ट्रोली जिसमें पत्थर भरे हुए थे, का चालक हाईवे पर बाईपास की तरफ से आया जिसे भी रोक कर चैक किया तो उक्त ट्रैक्टर के चालक ने अपना नाम लालाराम पुत्र मूलचंद बताया व उसे रवन्ना के लिए पूछा तो उक्त चालक के पास सुबह का रेवेन्यू रवन्ना होना बताया। उसके बाद एक अन्य तीसरा ट्रेक्टर आरजे 34 आरए 1789 आया जिसकी ट्रॉली में भी क्षमता से अधिक पत्थर भरे हुए थे। उसके बाद उक्त तीनों टैक्टर को थाने पर लाते समय एक टक नं० आरजे 05 जेए 5010 जिसमें बजरी भरी हुई थी, जिसे रोक कर चैक किया तो उसमे भी क्षमता से अधिक बजरी भरी हुई थी। जिस पर उक्त तीनों ट्रेक्टर व उक्त ढक को हमरा लेकर वापस थाने पर आए तब खनि अभियंता सोनू शर्मा को जांच हेतु उक्त तीनों ट्रैक्टर व ट्रक को सुपुर्द किया। उक्त प्रकरण में ही दिनांक 22.03.2016 को प्रकरण के आईओ दिलीप सिंह एसआई ने मेरे व कानि राजेन्द्र के समक्ष मुलजिम लालाराम को जरिये फर्द थाना परिसर में गिरफ्तार किया। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम लालाराम प्रदर्श पी 5 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि ट्रेक्टर नम्बर आर 0 जे0–45 आर.ए. 0177 में कुल कितना वजन था मैं नहीं बता सकता। यह बात सही है कि मेरे सामने पत्थरों का कोई तोल नहीं किया गया। रवन्ना प्रदर्श डी–1 व रॉयल्टी प्रदर्श डी–2 पुलिस को मिल

गयी थी। मैं उक्त ट्रेक्टर ट्रोली को नहीं पहचान सकता। जहाँ से हम ट्रेक्टर पकडना बताते हैं वहां आस–पास काफी मकानें व दुकान है रोड पर आवाजाही है। मेरे सामने जप्ती नहीं बनायीं मौके पर गिरफ्तारी नहीं बनायी। मेरे सामने स्वतन्त्र गवाह को नहीं बुलाया।

13. गवाह पी0 ड 0–4 राजेन्द्र ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 22.03.2016 को पुलिस थाना कोतवाली दौसा में कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नं0 184/16 अंतर्गत धारा 379 आईपीसी, 4/21 एमएमडीआर एक्ट के आईओ ने मेरी व कानि बसवीर की उपस्थिति में प्रकरण में वांछित अभियुक्त लालाराम को जरिये फर्द थाना परिसर में गिरफ्तार किया। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम लालाराम प्रदर्श पी 5 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि मेरे सामने किसी स्वतन्त्र गवाह को नहीं बुलाया था। यह भी सही है कि मैं आज मुलजिम को नहीं पहचान सकता। मुलजिम हाजिर अदालत हो तो मुझे पता नहीं। प्रदर्श पी–5 में ई से एफ भाग में जिस जगदीश के हस्ताक्षर है वो कौन है उसका मुझे पता नहीं है।

14. गवाह पी0 ड 0–5 सोनू अवस्थी ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 21.03.2016 को कार्यालय सहायक खनि अभियंता दौसा में सर्वेयर के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन थानाधिकारी कोतवाली दौसा देवेन्द्र प्रताप द्वारा जरिये दूरभाष समय 6 पीएम मुझे सूचना दी गई थी कि दौराने नाकाबंदी एनएच 11 आगरा रोड पर एक ट्रैक्टर नं. आरजे 45 आरए 0177 मय डॉली जिसमें क्षमता से अधिक पत्थर भरे हुए थे, को चैक करने पर बिना रवन्ना के पाया गया। जिसमें लगभग 9 टन खनिज चेजा पत्थर भरे हुए थे व मौके पर उक्त वाहन के चालक लालाराम पुत्र मूलचंद निवासी बडौली से उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे हुए चेजा पत्थरों की रॉयल्टी व अनुज्ञा पत्र बाबत् पूछा तो उक्त लालाराम ने रॉयल्टी संबंधी कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। मेरे द्वारा थाने पहुंचकर उक्त वाहन को चैक किया गया जिसमें खनिज चेजा पत्थर भरा हुआ पाया गया। वाहन चालक लालाराम से रॉयल्टी अदायगी दस्तावेज मांगने पर उसके द्वारा रॉयल्टी व रवन्ना संख्या 0868160 व रॉयल्टी रसीद संख्या 253/66 जारी की हुई पेश की जो कि दिनांक 21.03.2016 को समय 10:45 ए.एम. पर जारी की हुई थी जिसमें खनिज का वजन 6 टन अंकित मिला। उक्त वाहन का तिवाडी धर्मकांटा

आगरा रोड पर कांटा करवाया गया। जिसके अनुसार वाहन का कुल वजन मय खनिज चेजा पत्थर वजन 13.91 टन पाया गया। जिसमें से खाली वाहन का वजन के अतिरिक्त उक्त वाहन में भरे हुए खनिज का वजन 9 टन पाया गया। वाहन चालक द्वारा उक्त खनिज रामबास तीतरबाडा की पहाडी से भरकर लाना बताया गया। थानाधिकारी द्वारा उक्त वाहन को दिनांक 21.03.2016 को समय 6:10 पीएम पर चैक किया गया जबकि वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत रवन्ना रसीद दिनांक 21. 03.2016 की समय 10:45 ए.एम. पर जारी की हुई प्रस्तुत की। तीतरबाडा से दौसा की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। वाहन की औसतन गति से तीतरबाडा से दौसा पहुंचने में लगभग डेढ घंटे का समय लगता है। जबकि चैक किए गए समय और रवन्ना जारी किए गए समय में लगभग 7 घंटे का अंतर पाया गया। जिसका वाहन चालक द्वारा मौके पर कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया गया। वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत रवन्ना /रॉयल्टी रसीद का दुरूपयोग किया जाना मानते हुए अमान्य किया गया। तथा एमएमसीआर 1986 के नियम 68 के तहत वाहन को मय खनिज जब्त कर मौका पंचनामा बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली मय खनिज चेजा पत्थर भरे हुए को पुलिस थाना कोतवाली दौसा में समय 9:30 पीएम पर सुपुर्दगी पर दिया गया। मेरे द्वारा मौके पर तैयार किया गया फर्द मौका पंचनामा प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी खनिरक्षक लल्लूलाल, सी से डी उक्त वाहन के चालक लालाराम, व ई से एफ एसएचओ देवेन्द्र प्रताप, जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। तिवाडी धर्मकांटा आगरा रोड से वाहन आरजे 45 आरए 0177 का कांटा करवाया गया। उसकी की कांटा पर्ची प्रदर्श पी 6 है व उक्त वाहन के चालक लालाराम द्वारा पेश किया गया रवन्ना प्रदर्श डी 1 व रॉयल्टी रसीद प्रदर्श डी 2 है। उक्त वाहन का सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 22.03.2016 को मेरे द्वारा उक्त प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जो प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 9 है जिस पर भी ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण के आईओ द्वारा मौके पर घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद किया गया जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि मुझे आज यह ध्यान नहीं है कि थाने पर कुल कितने ट्रेक्टर व ट्रक खडे हुए थे। यह सही है कि आज जो मैंने ट्रेक्टर के नम्बर बताये है वह न्यायालय की पत्रावली देखकर बताये थे। उस दिन

मैंने कितने ट्रेक्टरों का वजन कराया था मुझे ध्यान नहीं है। मैंने खाली वाहनों का तोल नहीं करवाया था। यह सही है कि ट्रेक्टर अलग–अलग साइज व अलग–अलग वजन के होते हैं। ट्रोली भी अलग–अलग साइज व अलग–अलग वजन की होती हैं। मैं चालक को नहीं पहचानती हूॅ। मैंने आज ट्रेक्टर–ट्रोली में पत्थर नहीं देखे। यह सही है कि चालक के पास खान के रवन्ना एवं पर्ची थी। मुझे तो ट्रेक्टर –ट्रोली थाने पर ही दिखायी थी। मैं जो पत्थर जब्त होना बताती है उसके सम्बन्ध में मैंने खान पर जाकर कोई जांच नहीं की। मैंने रवन्ने के सम्बन्ध में भी लीजधारक के पास जाकर कोई जांच नहीं की।

15. गवाह पी0 ड 0–6 विक्रम ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 21.03.2016 को पुलिस थाना कोतवाली दौसा में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन समय 3:10 पीएम पर एसएचओ देवेन्द्र प्रताप के साथ मय जाब्ता कानि किशन, गजेन्द्र, बसवीर, बनवारी, बलराम व मैं एनएच 11 मिडवे के सामने नाकाबंदी कर रहे थे। तभी समय 6 पीएम पर एक ट्रैक्टर नंबर आरजे 14 आरबी 366 गय पत्थरों से भरी हुई आती दिखाई दी जिसे चैक किया तो उसमें क्षमता से अधिक खनिज पत्थर भरे हुए थे जिसके चालक से एसएचओ देवेन्द्र प्रताप ने रखन्ना व रॉयल्टी के लिए पूछा तो चालक ने नहीं होना बताया। इसी प्रकार समय 6:10 पीएम पर एक अन्य ट्रैक्टर गय टॉली आरजे 45 आरए 0177 आती हुई दिखाई दी जिसमें भी क्षमता से अधिक खनिज चेजा पत्थर भरे हुए थे जिसे एसएचओ साहब ने रूकवा कर उसके चालक से उसका नाग पता पूछा तो उसने अपना नाम लालाराम पुत्र मूलचंद निवासी बडौली होना बताया। इसके कुछ समय बाद ही एक अन्य ट्रैक्टर मय डॉली आरजे 34 आरए 1789 आता हुआ दिखाई दिया जिसमें भी क्षमता से अधिक पत्थर भरे हुए थे जिसको चैक किया और चालक से उक्त की रवन्ना व रॉयल्टी बाबत पूछा तो चालक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसकी सूचना खनिज विभाग के अभियंता सोनू अवस्थी को जरिये फोन दी गई। जिसके बाद सर्वेयर सोनू अवस्थी मौके पर पहुंची व उन्होंने कार्यवाही की तत्पश्चात् वापस थाने आते समय एक ढक नंबर आरजे 05 जेए 5010 गय बजरी के भरा हुआ मिला जिसे रोक कर चैक किया तो उसमें भी क्षमता से अधिक बजरी भरी हुई थी। तब बाद कार्यवाही उक्त ट्रेक्टर ट्रॉली व उक्त टक को थाने पर लाये और सर्वेगर सोनू अवस्थी द्वारा उक्त के संबंध में जांच करने

के बाद प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। तब प्रकरण के आईओ दिलीप सिंह ने मौके पर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् प्रकरण के वांछित गुलजिम लालारान की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल उक्त की निशादेही से कसीद किया गया जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि पत्थरों की ट्रोली में कितना वजन था मुझे पता नहीं है और ट्रेक्टरों एवं ट्रकों में कितना वजन था मुझे नहीं पता। स्वतन्त्र व मौतबिर गवाह मौजूद होने के बाद भी आई.ओ. ने उनके नक्शे में गवाह क्यों नहीं बनाया मुझे पता नहीं है। यह सही है कि चालक ने रवन्ना प्रदर्श पी–1 दिखा दिया था।

16. गवाह पी0 ड 0–7 बनवारी लाल ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 21.03.2016 को पुलिस थाना कोतवाली दौसा में कानि० के पद पर पदस्थापित था उस दिन देवेन्द्र प्रताप सिंह के साथ श्रीमान एस पी साहब के ओदशानुसार "ए" श्रेणी की नाकाबन्दी मिडवे के सामने लालसोट बाईपास दौसा कर रहे थे। साथ में कानि० बसवीर, बलराम, राजेन्द्र, विक्रम भी थे। उस समय वहाँ से पत्थर के भरे हुए ट्रेक्टर ऑवरलोड समय करीब 06:00 शाम को रुकवाकर के चेक कर रहे थे। वहाँ पर RJ450177 और दो तीन अन्य ट्रेक्टर थे, जिनके नम्बर मुझे कन्फर्म नहीं है, और एक ट्रक भी था जिसके नम्बर RJ51050 तथा और अन्य वाहन जिनके नम्बर मुझे याद नहीं है, फिर वहाँ से इंचार्ज ने खनिज विभाग के अधिकारियों से बात की। देवेन्द्र प्रताप सिंह ने ट्रैक्टर चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम लालाराम होना बताया तथा उससे रवन्ना के बारे में पूछा तो उसने कोई रवन्ना नहीं होना बताया। ट्रेक्टर में पत्थर भरे हुए थे। इंचार्ज साहब ने खनिज विभाग के अधिकारी सोनू अवस्थी को बुलाया। मौके पर मेरे द्वारा इंचार्ज साहब ने कोई कार्यवाही नहीं की। मौके पर तीन ट्रेक्टर रोके गये जिनमें पत्थर भरे हुए थे तथा एक ट्रक रोका गया जिसमें बजरी भरी हुई थी। फिर मौके पर खनिज विभाग के अधिकारी सोनू अवस्थी को बुलाया तथा उक्त तीनों ट्रैक्टर तथा ट्रक को थाने लेकर के आये तथा खनिज विभाग के अभियंता सोनू अवस्थी को जाँच हेतु सुपुर्द कर दिया। जिरह में कथन किया है कि मैंने मेरी रवानगी व आमद बाबत रोजनामचा में रपट नहीं डाली थी। यह बात सही

है कि चालक द्वारा मौके पर रवन्ना होना बताया था और यह बात मैंने अपने पुलिस बयान में भी लिखा दी थी कि चालक के पास रवन्ना था। मौके पर कितने–कितने नम्बरों के ट्रेक्टर व ट्रक थे उनके नम्बर मुझे कन्फर्म नहीं है। मैं लालाराम को भी नहीं पहचानता हूँ। मेरे सामने कोई जप्ती की कार्यवाही भी नहीं हुयी थी। खनिज विभाग की सोनू शर्मा मौके पर नहीं आयी थी। मेरे सामने किसी भी ट्रेक्टर–ट्रोली का वजन नहीं कराया गया था।

17. गवाह पी0 ड 0–8 दिलीप सिंह ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 22.03.2016 को में पुलिस थाना कोतवाली दौसा में SI के पद पर कार्यरत था उस दिन मुझे प्रकरण संख्या 184/16 धारा 379 भा०दं०सं० व 4/21 MMDR Act की पत्रावली थानाधिकारी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मुझे सुपुर्द की गयी। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी० 08 है जिस पर सी से डी पुलिस कार्यवाही पृष्टांकन है तथा इ से एफ उक्त थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। चाक FIR प्रदर्श पी० 09 पर सी से डी उक्त थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान घटना स्थल पर पहुँच कर प्रार्थी सोनू अवस्थी की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया जो प्रदर्श पी० 01 है जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है जिसकी पुश्त पर हालात मौका अंकित है। अभियुक्त लालाराम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया जो प्रदर्श पी० 05 है जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है तथा आई से जे अभियुक्त के हस्ताक्षर हे व अन्य गवाहान के हस्ताक्षर है। अभियुक्त के द्वारा दौराने अनुसंधान स्वेच्छा से अपराध बाबत् धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला ली जो फर्द प्रदर्श पी० 10 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर तथा सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। घटना स्थल का तस्दीक नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी० 02 है जिस पर इ से एफ मेरे तथा जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर है। गवाहान विक्रमसिंह, सोनू अवस्थी, देवेन्द्र प्रताप सिंह, बलराम, बनवारी, बसवीर, बनवारी पुत्र लालाराम, लल्लूलाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर प्रकरण में वांछित दस्तावेज कांटा पर्ची व खनिज विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही के दस्तावेज संलग्न पत्रावली किये गये। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गयी। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त लालाराम पुत्र मूलचन्द गुर्जर निवासी बडोली का कार्य धारा 4/21 MMDR Act व 379 भा०दं०सं० का प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली में चालानी आदेश प्राप्त

करने हेतु पत्रावली SHO को सुपुर्द की जिनके द्वारा पत्रावली में चालानी आदेश प्राप्त कर पत्रावली में अंतिम आरोप पत्र संख्या 161/16 न्यायालय में पेश की गयी जिस पर ए से बी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है जिनके साथ काम करने से मैं हस्ताक्षर पहचानता हूं। जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि नाकाबंदी के दौरान सोनू अवस्थी मौके पर नहीं थी। यह मैं नहीं बता सकता कि सोनू अवस्थी ट्रेक्टर लाने के बाद में थाने पर आयी हो। यह कहना सही है कि मुझे पत्थर सम्बन्धित कोई रवन्ना अनुसंधान के दौरान पत्रावली में नहीं मिला। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर व ट्रोली का खाली का वजन नहीं कराया। मेरे द्वारा जप्तशुदा पत्थरों का वजन नहीं करवाया गया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 में बताये स्थान तथा ट्रोली में जप्तशुदा पत्थर का मिलान मैंने किसी फोरेंसिक लेब या सक्षम संस्था से नहीं करवाया था। यह सही है कि प्रदर्श पी–2 में नक्शा मौका में कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं थे।

18. गवाह पी0 ड 0–9 विजय पाल ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि मैं दिनांक 21.03.2016 को पुलिस थाना कोतवाली दौसा में हैड कानि० के पद पर पदस्थापित था तथा मालखाना का चार्ज भी मेरे पास था। उस दिन मुकदमा नं० 184/16 धारा 379 भा०दं०सं० व 4/21 MMDR Act में वापसी थाने पर सोनू अवस्थी सर्वेयर खनिज विभाग द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा एक ट्रैक्टर DI मय ट्रोली नम्बर RJ45RA0177 जिसमें ट्रोली व पत्थर भरे हुए थे, मुझे मालखाना में जमा करने हेतु दिया था जिसे मेरे द्वारा उसी समय मालखाना में जमा कर इसका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर की मद क्रमांक 770 पर किया गया था। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी० 11 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।जिरह में कथन किया है कि जप्तशुदा माल रिजीज हुआ या नहीं हुआ, मेरी जानकारी में नहीं है। आज मैने जप्तशुदा माल न्यायालय में नहीं देखा है। माल जप्ती कर्ता के बारे में मुझे जानकारी है। यह सही है कि माल जप्तकर्ता देवेन्द्र जी नहीं थे। इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी कौन था, मुझे पता नहीं है। अज खुद कहा कि पत्रावली देखकर बता सकता हूँ

19. गवाह पी0 ड 0–10 बलराम ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 21.03.2016 को पुलिस थाना कोतवाली दौसा में कानि० के पद पर पदस्थापित था उस दिन इंचार्ज साहब देवेन्द्र प्रताप सिंह के साथ श्रीमान

एस पी साहब के ओदशानुसार 'ए' श्रेणी की नाकाबन्दी मिडवे के सामने लालसोट बाईपास दौसा कर रहे थे। साथ में कानि० बसवीर, बनवारी, राजेन्द्र, विक्रम भी थे। उस समय वहाँ से पत्थर के भरे हुए ट्रेक्टर ऑवरलोड समय करीब 06:00 शाम को रुकवाकर के चेक कर रहे थे। वहाँ पर RJ14RB366, RJ45RA0177, RJ34RA1779 ट्रेक्टर थे और एक ट्रक भी था जिसके नम्बर RJ5JA5010 था, फिर वहाँ से इंचार्ज साहब ने खनिज विभाग के अधिकारियों से बात की। इंचार्ज साहब देवेन्द्र प्रताप सिंह ने ट्रैक्टर चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम लालाराम होना बताया तथा उससे रवन्ना के बारे में पूछा तो उसने कोई खन्ना नहीं होना बताया। ट्रेक्टर में पत्थर भरे हुए थे। इंचार्ज साहब ने खनिज विभाग के अधिकारी सोनू अवस्थी को बुलाया। मौके पर इंचार्ज साहब ने कोई कार्यवाही नहीं की। मौके पर तीन ट्रेक्टर रोके गये जिनमें पत्थर भरे हुए थे तथा एक ट्रक रोका गया जिसमें बजरी भरी हुई थी। फिर थाने पर खनिज विभाग के अधिकारी सोनू अवस्थी को बुलाया तथा उक्त तीनों ट्रैक्टर तथा ट्रक को थाने लेकर के आये तथा खनिज विभाग के अभियंता सोनू अवस्थी को जाँच हेतु सुपुर्द कर दिया। जिरह में कथन किया है कि मुझे आज तीन अन्य ट्रेक्टर चालकों के नाम याद नहीं है। अज खुद कहा कि एक ट्रेक्टर चालक का नाम याद है। यह कहना सही है कि ट्रेक्टर का वजन मेरे सामने नहीं कराया। यह कहना सही है कि पत्थर आज मेरे समक्ष न्यायालय में मौजूद नहीं है। मैं ट्रेक्टर के नम्बर के अलावा अन्य ऐसा कोई मार्का नहीं बता सकता जिससे ट्रैक्टर व ट्रोली की पहचान होती हो।

20. पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में फरियादिया सुश्री सोनू अवस्थी सर्वेयर कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, दौसा ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 आरक्षी केन्द्र कोतवाली, दौसा में इस आशय की पेश की कि दिनांक 21.03.2016 को वाहन संख्या आर.जे. 45 आर.ए. 0177 को चैक किया गया जिसमें खनिज चेजा पत्थर लगभग 9 टन भरा हुआ पाया गया। मौके पर वाहन चालक लालाराम पुत्र श्री मूलचन्द निवासी बडौली, तहसील व जिला दौसा द्वारा मौके पर खनिज की रॉयल्टी सम्बन्धी वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 68 के तहत अवैध निर्गमन की श्रेणी में माना जाकर मौके पर ही मौका पंचनामा बनाया गया। खनिज एक राष्ट्रीय सम्पदा है जिसका चोरी कर परिवहन करना आई.पी.सी.

की धारा 379 के तहत दण्डनीय अपराध है। लालाराम पुत्र श्री मूलचन्द निवासी बडौली, तहसील व जिला दौसा द्वारा खनिज चेजा पत्थर का अवैध निर्गमन किया जाने का अपराध किया गया है। अतः उक्त अवैध निर्गमनकर्ता के विरूद्ध एम.एम.सी.आर. 1986 के नियम 68, एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 4 व 21 आई. पी.सी. की धारा 379 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का श्रम करावें .....इत्यादि।

21. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की समग्र रूप से विवेचना करने से यह प्रकट होता है कि अभियोजन द्वारा तत्कालीन सर्वेयर कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता सोनू अवस्थी को गवाह पी0 ड 0–5 के रूप मे परीक्षित कराया गया है । उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि लालाराम ने रायल्टी सम्बन्धी कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। उक्त खनिज रामवास, तीतरवाडा की पहाडी से भरकर लाना बताया। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मैं सबसे पहले थाने गयी थी। मुझे यह ध्यान नहीं हे कि थाने पर कितने ट्रेक्टर और ट्रोली खडे हुए थे। यह सही है कि आज मैंने ट्रेक्टर के नम्बर बताये हैं वह न्यायालय की पत्रावली देखकर बताये हैं। मै चालक को नहीं पहचान सकती। यह सही है कि परिचालन के दौरान वाहन पंचर भी हो जावे व खराब भी हो जावे यह सही है कि इस कारण से चालक के समय में अन्तर भी आ जाता है। मुझे तो ट्रेक्टर ट्रोली थाने पर ही दिखायी दी। इस प्रकार उक्त गवाह तत्कालीन सर्वेयर कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता वरवक्त जप्ती ट्रेक्टर–ट्रोली मौके पर मौजूद नहीं रही ना ही उसके द्वारा चालक को मौके पर उक्त ट्रेक्टर ट्रोली को चलाते हुए देखा गया। इस तथ्य को स्वयं गवाह द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। इस गवाह की साक्ष्य से अभियोजन को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। इसी कडी में अन्य गवाह पी0 ड 0–3 बसवीर ने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि चालक से रेवेन्यू रवन्ना पूछा गया तो नहीं होना बताया वही मुख्य परीक्षण में फिर कथन किया है कि रवन्ना के लिए पूछा तो सुबह का रवन्ना होना बताया। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि ट्रेक्टर–ट्रोली में कितना वजन था मै नहीं बता सकता। मेरे सामने पत्थर का कोई तोल नहीं किया गया। रवन्ना प्रदर्श डी–1, रायल्टी रसीद प्रदर्श डी–2 पुलिस को मिल गयी थी। जहाँ से हम ट्रक को पकडना बताते हैं वहां काफी मकाने और दुकानें हैं रोड पर काफी

आवाजाही है। इस प्रकार उक्त गवाह ने चालक द्वारा मौके पर रवन्ना एवं रायल्टी रसीद प्रस्तुत किये जाने का कथन अपने प्रतिपरीक्षण में किया है था साथ ही मौके पर काफी मकानात एव दुकानात एवं आवाजाही होने का कथन किया है परन्तु अभियोजन के द्वारा कोई स्वतन्त्र गवाह मौके का नहीं बनाया गया। उक्त गवाह ने यह भी कथन किया है कि मेरे सामने ट्रेक्टर ट्रोली का कोई वजन नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त गवाह के सामने ट्रेक्टर–ट्रोली का कोई वजन नहीं किया गया। मुझे पता नहीं है कि रवन्ना रसीद एवं रायल्टी रसीद प्रदर्श डी–1 व 2 उसके समक्ष नहीं दिखाये जाने का कथन किया है। इस प्रकार गवाह पी0ड0–2 लल्लूराम गवाह पी0ड0–3 बसवीर, गवाह पी0ड0–5 सोनू अवस्थी के बयानो में भारी विरोधाभास है। जहाँ सोनू अवस्थी उक्त रवन्ना रसीद एवं रायल्टी रसीद मौके पर दिखाये जाने का कथन करती है। वही दूसरी ओर गवाह पी0ड0–2 लल्लूराम उक्त तथ्य से इन्कार करता है। प्रकरण में अनुसधान अधिकारी के द्वारा किसी स्वतन्त्र गवाह के बयान मौके पर मकानात, दुकानात होने के पश्चात भी न तो लेखबद्ध किये गये न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिससे यह प्रकट होता हो कि अनुसंधान अधिकारी के द्वारा स्वतन्त्र गवाहान को गवाही देने के लिए कहा गया हो और उनके द्वारा गवाही देने से इन्कार किया हो। इसी प्रकार गवाह पी0ड0–6 विक्रम ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मेरे सामने जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं हुयी थी। इसी कडी में गवाह पी0ड0–8 दिलीप सिंह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मुझे तफ्तीश मिलने से पूर्व ही ट्रक जप्त किया जा चुका था। सोनू अवस्थी मौके पर नहीं थी। ट्रेक्टर थाने पर लाने के बाद आया थी। यह कहना गलत है कि चालक के पास पत्थर लाने का रवन्ना हो जबकि हस्तगत पत्रावली में अभियोजन द्वारा प्रदर्श डी–1 प्रदर्श डी–2 रायल्टी रसीद अनुसंधान के दौरान जप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है उक्त गवाहान के बयानों में भारी विरोधाभास है।

22. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन और विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनाँक 21.03.2016 को समय 6.30 पी०एम० या उसके लगभग वाके मौजा नेशनल हाई वे नम्बर 11 पर मिडवे के सामने दौसा पर ट्रेक्टर मय ट्रॉली आर0जे0–45 आर.ए. 0177 में अवैध रूप से 09 टन खनिज चेजा पत्थर

भरकर परिवहन किये जा रहे थे जिसको परिवहन करने का तत्समय आपके पास कोई रायल्टी व अनुज्ञा–पत्र नहीं था। उक्त चेजा पत्थर को आपके द्वारा बिना परिवादी की अनुमति के बेईमानीपूर्वक आशय से चोरी के आशय से ले जाया जा रहा हो। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/21 MMDR के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

23. परिणामतः अभियुक्त लालाराम पुत्र मूलचन्द उम्र–35 वर्ष निवासी बडौली थाना सदर, जिला–दौसा (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/21 MMDR के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

24. प्रकरण में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील अवधि नियामनुसार निरस्त समझा जावे।

25. अभियुक्त को निर्देश है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत 10–10 हजार रूपये के जमानत मुचलके 6 माह की अवधि के इस आशय के प्रस्तुत करे कि यदि माननीय अपीलीय न्यायालय से अपील के कोई नोटिस प्राप्त होते हैं तो वह उक्त न्यायालय में उपस्थित हो जावेगा।

उमेश वीर (RJS)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दौसा, जिला–दौसा(राज.)

20. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उमेश वीर (RJS)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दौसा, जिला–दौसा(राज.)